जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

पीएचईडी के बकाया राशि के मामलों का निस्तारण शीघ्र करें

—— भास्कर ए. सावंत

जयपुर, 08 अगस्त। जयपुर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की 7 अगस्त को आयोजित बैठक में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं को बुला कर डिस्कॉम की सर्किलवार बिलों एवं अण्डरटेकिंग की बकाया राशि को जमा कराने के लिए चर्चा की गई। इसमें यह निर्णय किया गया कि अविवादित राशि को तुरन्त जमा कराने की व्यवस्था की जाये और यदि कोई विवादित राशि हो तो उसके लिए निगम के सर्किल अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी के अधीक्षण अभियन्ताओं साथ बैठक कर सात दिवस में इनका निपटारा करें। इस बैठक में पीएचईडी के मुख्य अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार भी उपस्थित रहे।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में शुक्रवार 7 अगस्त को आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में पीएचईडी पर डिस्कॉम की बकाया राशि, बिजली कनेक्शन जारी करना, हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार योजना के तहत आयोजित होने वाले शिविर की तैयारियां, खराब मीटरों को बदलना, प्री पेड मीटर लगानें के लिए सरकारी कार्यालयों को चिन्हित कर सूचि तैयार करना, सब–डिवीजन अनुसार छीजत की स्थिति एवं फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम व सब–स्टेशन इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

श्री सावंत ने फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम व सब–स्टेशन इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम के तहत होने वाले कार्यों की धीमी गति को देखते हुए अधिकारियों को कहा कि इनके तहत होने वाले कार्यो में तेजी लाकर इनको शीघ्र पूरा करें। उन्होंने सभी वृत अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वीसीआर सही भरी जानी चाहिए एवं भरने के बाद नियमित आधार पर एफ.आई.आर दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जानी चाहिए। नए कनिष्ठ अभियन्ताओं को ट्रेनिग देने के लिए अधीक्षण अभियन्ता (ट्रेनिग) एवं अधीक्षण अभियन्ता (विजिलेन्स) विषय सामग्री तैयार करेगें एवं वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से ट्रेनिग देने की कार्यवाही करेंगे।

उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की सही बिल नही होने एवं रीडिंग गलत होने की शिकायतों को देखते हुए अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि बिलिंग एजेन्सी के प्रतिनिधी द्वारा ली गई रीडिंग की कुछ स्थानों पर निगम के कर्मचारियों द्वारा भी जांच करानी चाहिए कि रीडिंग सही आ रही है अथवा नही। इसका प्रयोग किसी एक या दो सब–डिवीजन का चयन करके किया जा सकता है।

श्री सावंत ने सम्भागीय मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को कहा निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी के लिए फील्ड में जाना चाहिए और कार्यों में और सुधार के लिए अपने अधीनस्थों को इस बाबत आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य ग्रहण नही किया जाता है तो उसे चार्जशीट देने की कार्यवाही की जाए।

बैठक में निदेशक (तकनिकी), निदेशक (वित्त), मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), मुख्य लेखाधिकारी एवं निगम के सभी अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 257/2015